संख्या-91/2026/आई0/1281369/2026-5-6099/462/2022-6

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2026**

विषय-: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा को आवर्तक अनुदान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25फ/अनुदान/2025-26/200, दिनांक 06.02.2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-143/2025/आई0/966269/2025-5-6099-462/2022-6,दिनांक 20.05.2025, शासनादेश संख्या-205/2025/आई0/1120940/2025-5-6099-462/2022-6, दिनांक 17.10.2025 एवं शासनादेश संख्या-07/2026/आई0/1195625/2026-5-6099-462/2022-6, दिनांक 06.01.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी-800 अन्य व्यय-03 चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान-28-आगरा मानसिक आरोग्यशाला को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 2500.00 लाख के सापेक्ष मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा को चतुर्थ किश्त के रूप में रूपये 625.00 लाख (रूपये छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,25,00,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 2210018000328 आगरा मानसिक आरोग्य शाला को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-359/दस-2025-26, दिनांक-10 मार्च, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
(3) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(4) सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
(5) सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(6) सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कोषागार/मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उ0प्र0 शासन।
(8) सम्बन्धित चिकित्सा इकाई/संस्थान/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।